राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22948 दिनांक 15 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

इस कार्यालय में आडाणी गैस लिमिटेड द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम कांदा से सुवाणा व भीलवाडा नगर परिषद क्षेत्र :– आर0सी0व्यास, आरके0 कोलोनी, सुभाष नगर एवं सरस डेयरी क्षेत्र मे मैसर्स ए0एन0 गैस लाईन प्रोजेक्ट प्रा0लि0 व मैसर्स कर्णी कन्सट्रेक्शन द्वारा स्टील गैस पाईप लाईन का कार्य किया जा रहा है, लॉक डाउन की वजह से कार्य बन्द पडा है। कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गई है।

अतः लॉक डाउन अवधि मे राज्य सरकार (MHA) द्वारा दी गई छुट के तहत नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी एवं प्रोटोकॉल व जिले मे लागू भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जाती है :–

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तों की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
2. उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार की सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति उपरान्त ही कार्य किये जाना सुनिश्चित करे।
3. नियोजित श्रमिको का रहवास यथा संभव कार्यस्थल पर ही किया जावे।
4. श्रमिक एंव अन्य कार्मिकों को फेस मॉस्क का उपयोग/लगाना अनिवार्य होगा।
5. Social distance के निर्धारित मापदण्डों अनुसार आवागमन किया जावे।
6. आवगमन करने वाले श्रमिक/कार्मिकों को सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होगें ।
7. सभी कार्मिको/श्रमिको के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जायेगें।
8. उक्त प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत स्टाफ/श्रमिको/प्रबंधको/संचालको आदि के आवागमन हेतु सक्षम स्तर से पास जारी करवाये जाना अनिवार्य होगा।
9. जिले के बाहर से उक्त प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत श्रमिको/टेक्नीशियन/प्रबंधक/संचालक आदि का आगमन हेतु राज्य सरकार से जारी गाईडलाईन अनुसार अनुमति ली जाकर आवागमन कर सकेगें।
10. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी आवागमन करने वाले श्रमिको/कार्मिको का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त स्वीकृति मान्य होगी।
12. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
13. गुटखा तम्बाकू के सेवन तथा थुकनें पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।

—2—

14. उक्त आवागमन हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको/कार्मिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
15. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।**
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
04. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।**
05. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. प्रबंधक, आडाणी गैस लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाडा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा